

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 226/2023

उनवान

लादु पुत्र नन्दा बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- अनारदीन पुत्र कमरुदीन पिनारा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 2- सोहन पुत्र लालु लोहार निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 3- भंवर पुत्र लालु बलाई निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 4- उदा पुत्र बंशी लोहार निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 5- रूकमा पत्नी महावीर बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 6- महावीर पिता खाना बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 7- नाथू पिता बगतावर बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 8- रामनिवास पिता कल्याण खाती निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 9- मु. राधा पत्नी अमरचंद बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 10- देबी पिता केसु बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 11- राजु पिता देबी खटीक निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 12- रामसिंह पुत्र मोहनलाल बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 13- मूला पिता मगना बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 14- शंकर पुत्र सोहनलाल बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 15- कालु पिता रामचन्द्र बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 16- तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

- विपक्षीगण

दिनांक- 06/02/2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम ढीकोला पटवार हल्का ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1010 रकबा 0.39 है0, 1013 रकबा 0.47 है0, 5945/4974 रकबा 0.64 है0, 958 रकबा 0.53 है0, 970 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 रकबा 2.16 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ढीकोला पटवार हल्का ढीकोला संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ढीकोला में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 5 रकबा 2.16 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 900/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा